



322/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दृष्टि 2286709
2286710

नव लेना केंद्र, 10 असाम नगर, लखनऊ 226001

पत्रांक : 2285/36/76/एक/2015 16
सेवा में,

दिनांक : 28 अगस्त 2015

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015 16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुरार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	3853.936 (धनराशि लाल रु० में)

क्र0राठ०	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान राश्या	आवारों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
01	रामपुर/रामपुर (तास्का पहाड़ी गेट निकट एसपीएस जौन-2)	37	720	1	1408.90
02	रामपुर शहर/हुंगरपुर	37	1008	1	1958.856
03	रामपुर शहर (खेतो वाली मस्जिद नाला पर के निकट)	37	192	1	486.18
	योग				3853.936

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहत आरारा योजना में प्रत्यावेत उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुरार ही व्यय किया जाये:

- 1— उ0प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आरारा योजनान्तर्गत स्वीकृत दी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 3— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015 16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवशि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उ0प्र० शारन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



322/2

दिनांक 22/06/09
संख्या 220001

नम फैला बैच, 10 अंडेय मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4— उक्त धनराशि दूड़ा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।
- 5— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्नोत्त पर कठीनी रामबन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में युग्मवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमत्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से दूड़ा द्वारा प्रथम किशत की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एम०ओ०य० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।
- 8— दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के रापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप रथल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुरार युग्मवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर दूड़ा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामबन्धित जनपद।
- निदेशक, री० एप्ड डी०एस०, उ०५० बाल निगम, लखनऊ।
- सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
- कम्प्यूटर रोल—रूडा।
- लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक